सं. A-70/1/2025-Admn.I
भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 13 जून 2025

<u>कार्यालय आदेश</u>

विषय:- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव/डेस्क अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव और समकक्षी रैंक के अधिकारियों को आधिकारिक बैठकों आदि के दौरान आतिथ्य सुविधाओं पर होने वाला व्यय - इसकी सीमा।

इस मंत्रालय के आदेश सं. F-18012/1/2022-Admn.I, दिनांक 25.04.2023 (प्रति संलग्न) को अधिक्रमित करते हुए, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव/डेस्क अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव और समकक्षी रैंक के अधिकारियों को आधिकारिक बैठकों आदि के दौरान दी जाने वाली आतिथ्य सुविधाओं की सीमा को निम्नानुसार बढ़ाया जाए:-

क्र.सं.	अधिकारी की श्रेणी	एकीकृत वित्त प्रभाग (IFD) द्वारा अनुमोदित संशोधित सीमा (प्रति माह), दिनांक 01.07.2025 से प्रभावी (₹)
1.	निदेशक/उप सचिव/समकक्ष पद	2000/-
2.	अवर सचिव/समकक्ष पद	1500/-
3.	अनुभाग अधिकारी/समकक्ष पद	1000/-

2. ऊपर निर्धारित मौद्रिक सीमा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

i. जो अधिकारी मुख्य सचिवालय में ऋण (loan) आधार पर कार्यरत हैं, उन्हें अपने व्यय (आतिथ्य पर किए गए व्यय) की प्रतिपूर्ति उनके संबंधित कार्यालयों से प्राप्त होगी।

ii. उक्त सीमा को आगे ले जाने (carry-forward) की अनुमति नहीं होगी और/अथवा एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को राशि हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी।

3. निदेशक स्तर तक के सभी पात्र अधिकारी दिनांक 01.07.2025 से ऊपर निर्धारित मौद्रिक सीमा के अनुसार आतिथ्य सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

4. यह आदेश AS&FA की सहमति से, ई-फ़ाइल 211729 में नोट #14 के माध्यम से, दिनांक 05.06.2025 को जारी किया जाता है।

संलग्नः यथोपरि।

हस्ताक्षरित
(अनुज दीक्षित)
भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाष सं. 2338 4990

प्रतिलिपि:-

1. वेतन एवं लेखा कार्यालय, मुख्य सचिवालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
2. सभी निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी और समकक्ष अधिकारी, मुख्य सचिवालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (ई-ऑफ़िस नोटिस बोर्ड के माध्यम से)।
3. सभी मीडिया इकाइयाँ: इस अनुरोध के साथ कि उन अन्य व्यक्तियों के आतिथ्य दावों की प्रतिपूर्ति की जाए, जो मुख्य सचिवालय में ऋण आधार पर कार्यरत हैं।
4. अनुभाग अधिकारी, नकद अनुभाग, मुख्य सचिवालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
5. प्रबंधक, विभागीय कैंटीन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
6. वित्त-II अनुभाग।
7. कार्यालय आदेश/संदर्भ फोल्डर।

हस्ताक्षरित
(अनुज दीक्षित)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष सं. 2338 4990